न्यायालय माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल,ग्वालियर

राजस्व रिवीजन प्र.क्र. पी/14

श्रीमती पूंजीबाई विधवा संपत्ति कुबड़े
निवासी–ग्राम पुसली तहसील आठ्नेर जिला–बैतूल .....रिवीजनकर्ता

विरूद्ध

श्रीमती बाया बाई पत्नी श्री श्रावन कुन्बी,
निवासी–ग्राम टेमुरनी तहसील आठ्नेर जिला–बैतूल .....अनावेदक

-1300-PBR/14

राजस्व रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

रिवीजनकर्ता की ओर से सविनय निवेदन हैं :–

विद्वान न्यायालय तहसीलदार आठ्नेर जिला बैतूल द्वारा रा.प्र.क्र.11/अ–70/2011–12 मौजा टेमुरनी में पारित आदेश दिनांक 30.01.2014 जिसके द्वारा उन्होंने आवेदक साक्षी के प्रतिपरीक्षण करने का अधिकार समाप्त किया जिससे व्यथित एवं विक्षुब्ध होकर सुदृढ़ तथ्यों एवं ठोस वैधानिक आधारों पर रिवीजन अविलंब सादर सद्भावनापूर्वक समयावधि में पेश है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

श्रीमति इन्दीबाई / श्रीमति बाध्याबाई

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1300–पीबीआर / 2014 जिला बैतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–5–2014	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 30–1–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदिका को अनावेदक के साक्षियों का प्रतिपरीक्षण किए जाने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी आवेदिका द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं किया जाकर समय दिये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । इस संबंध में तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि आवेदिका को साक्षियों के प्रतिपरीक्षण का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी उनके द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं किया जाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि प्रकरण को लंबित रखने का उद्देश्य है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा आवेदिका का प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	